

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) स.आ./पेयजल/09/ 3862-3888 जयपुर,दिनांक:21.03.2009

जिला कलेक्टर,  
अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा,  
डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर,  
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सिरौही।

विषय :- अभाव संवत् 2065 में अकाल प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 05.02.2009 में लिए गये निर्णयानुसार राज्य के उन जिलों में जहाँ घोषित अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक हैं तथा वे जिले जिनमें घोषित अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से कम हैं वहाँ केवल अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में ही प्रभावित लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए:-

1. जिले के अभावग्रस्त घोषित ऐसे गांवों में, जहाँ नजदीक में पेयजल का स्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्रोत बाढ़/अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहाँ सर्वप्रथम यह प्रयास किये जायें कि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्था/दान दाताओं के सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर, पेयजल की आपूर्ति की जाए।
2. स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग की सम्भावना यदि कम/नगण्य हो तो निम्नानुसार व्यवस्था की जाये
  - 2.1 ऐसे गांव जहाँ अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण पेयजल स्रोत उपयोगी नहीं रह गये हैं तथा 1.6 किमी की परिधि में कोई भी पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं रह गया है, वहाँ संकट की अवधि में पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाए।
  - 2.2 ऐसे गांव, जहाँ पेयजल योजनाएं विद्यमान हैं परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल के अभाव की स्थिति पैदा हो गई है वहाँ भी पेयजल के परिवहन की व्यवस्था अभाव अवधि में की जाए।
3. यदि पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकर्स/ट्रेक्टर ट्रौली/उंट गाडी/बैल गाडी आदि किराये पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस हेतु निम्न समिति से सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की व्यवस्था के अनुसार दरों का निर्धारण कराया जाए
  - अ. जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि अध्यक्ष  
जो अति. जिला कलेक्टर स्तर से कम के न हो
  - ब. अधिक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि.विभाग सदस्य  
का प्रतिनिधि जो अधिशासी अभियन्ता से कम का न हो।
  - स. कोषाधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि सदस्य  
लेखाधिकारी या स० लेखाधिकारी कलेक्टर कार्यालय

- 4 जिन समस्याग्रस्त गाँवों में पेयजल परिवहन हेतु किराये के टैंकर/ बैलगाड़ी की व्यवस्था की जानी है, वहाँ यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति एवं साधन यथा सम्भव स्थानीय हों।
- 5 ऐसे जिले, जहाँ पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा टैंकर्स उपलब्ध कराये हुये हैं, जिला कलेक्टर द्वारा, ऐसे टैंकर्स हेतु अधिशेष घोषित वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चालक एवं खलासी के पदों पर लगाया जाकर कार्य सम्पादित करवाया जाए। यदि उक्त श्रेणी के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो भूतपूर्व सर्विसमेन अथवा सेवा निवृत्त वाहन चालक एवं खलासियों को कमशः रुपये 2000 व 1000 प्रति माह पर इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 10-23 दिनांक 1.1.2001 अनुसार रख लिये जाए।
- 6 उपरोक्त सम्बन्ध में पेयजल परिवहन सम्बन्धी सभी स्वीकृतियों एवं आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये जाए। सभी समस्याग्रस्त ग्रामों/ढ़ाणियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संभावित समस्याग्रस्त गाँवों के टेण्डर कर, उन्हें सीलड कवर में जिला कलेक्टर के पास रखा जाए, ताकि जब भी उस गाँव में वास्तविक रूप से पेयजल की समस्या हो, उस स्थिति में टेण्डर खोलकर निम्नतम दर वाली पार्टी को पेयजल टैंकरो का आदेश दिया जा सके।
- 7 टैंकरो की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए, तहसीलवाईज पूर्व के पांच सालों में कम से कम दर को या जिला प्रशासन उससे कम दर को आरक्षित कर, रजिस्टर्ड ठेकेदारों तथा अपजिबद्ध ठेकेदार या पार्टियों को सामुहिक रूप से बोली लगाने का मौका दें तथा उस दर से कम दर वाले को या उसी दर पर अन्य लोगों को ठेका आवश्यकतानुसार दिया जाए।
- 8 पेयजल का वितरण सही हो, इसके लिए जहाँ से पानी रवाना हो, वहाँ अस्थाई चैक पोस्ट या उस स्रोत से टैंकर मालिक को तीन कूपन जारी किये जाए, जिसमें पानी की मात्रा, टैंकर रवाना होने का समय, दिनांक तथा टैंकर ले जाने वाले का नाम एवं टैंकर नम्बर दर्ज किया जाए, उसकी एक कार्यालय प्रति होगी तथा दो प्रति टैंकर चलाने वाले को दी जाए। टैंकर चालक जिस गाँव में जाए, उस गाँव के दो आदमियों के तथा एक महिला के हस्ताक्षर करायें। इस पैनल के व्यक्तियों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाए। इस रसीद शुदा कूपन को टैंकर मालिक द्वारा टैंकरो के बिल के साथ प्रस्तुत की जाए तथा उस कूपन की ऑफिस की प्रति से मिलान कर भुगतान किया जाए।
- 9 पेयजल विभाग की स्कीमों के टैंकरो का भुगतान भी राहत मद से कलेक्टर द्वारा अनुमत किया जा सकता है। जलदाय विभाग की स्कीम में यदि अचानक पेयजल हेतु टैंकरो की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जलदाय विभाग के अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर को सूचित कर तदानुसार ही पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावें। उन गाँवों की पेयजल की व्यवस्था की जिम्मेदारी जलदाय विभाग के अधिकारियों की रखी जाए, परन्तु इसका भुगतान जिला कलेक्टर के माध्यम से राहत मद अन्तर्गत अनुमत कर दिया जाए।
- 10 जो गाँव जलदाय विभाग से जुड़े नहीं हैं और गाँवों में पानी की समस्या है तो उन गाँवों की व्यवस्था भी जिला कलेक्टर द्वारा की जाए।
- 11 पेयजल स्रोत के रूप में यदि जिला कलेक्टरों को किसी निजी कुए या ट्यूबवैल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके लिए किराये का निर्धारण कर अधिग्रहण कर लिया जाए।

- 12 निर्धारित दरों पर कोई टेण्डरकर्ता पेयजल परिवहन नहीं कराता है तथा जिला कलेक्टर को अचानक आवश्यकता पडती है तो अनुच्छेद 9.4 में गठित कमेटी से नई दरें तय करवा ली जाए। ऐसे टेण्डर दाता की जमानत राशि जब्त कर ली जाए एवं उसे हमेशा के लिए ब्लेक लिस्ट किया जाए।
- 13 पेयजल उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से जिला कलेक्टर के स्तर पर की जाए, जिसमें पी.एच.ई.डी तथा आर.एस.ई.बी. तथा राजस्व विभाग एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समीक्षा बैठक में शामिल किया जाए।
- 14 जिला कलेक्टर द्वारा पेयजल के अभाव की स्थिति का निरन्तर आंकलन एवं पेयजल व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाकर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रति सप्ताह अवगत कराया जाए।

जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तर पर पेयजल आपूर्ति की समीक्षा हेतु उप खण्डाधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल समीक्षा समिति के गठन हेतु आदेश जारी करेंगे। जिसका गठन निम्नानुसार किया जाएगा:-

उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
सहायक अभियन्ता, जल संसाधन	सदस्य सचिव
विकास अधिकारी	सदस्य
तहसीलदार	सदस्य

अभावग्रस्त ग्राम के संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, ग्राम प्रभारी/पटवारी, ग्राम सेवक पदेन सचिव के प्रमाणीकरण के पश्चात् ही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 9 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पेयजल परिवहन का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

3<sup>21</sup> 21/2/09  
शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
7. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, राज0, जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।

शासन सचिव